

फ्रांस उस पलस्तीन को मान्यता देगा जो बचा है

सितंबर 2025 में, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने खड़े होंगे और पलस्तीन राज्य को मान्यता देंगे। यह एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया भाषण होगा, जो शांति, गरिमा और अंतरराष्ट्रीय कानून की अपीलों से भरा होगा। कैमरे चमकेंगे, राजनयिक तालियां बजाएंगे, और सुर्खियां इसे “ऐतिहासिक क्षण” घोषित करेंगी। लेकिन गलती न करें: **फ्रांस एक राज्य को मान्यता नहीं दे रहा है - यह एक कब्रिस्तान को मान्यता दे रहा है।**

जब तक मैक्रों अपनी घोषणा करेंगे, गाजा शायद केवल जली हुई जमीन होगी, उन लोगों की हड्डियों से भरी हुई जिन्हें दुनिया ने बचाने का फैसला नहीं किया। फ्रांस का इशारा, चाहे कितना भी नेक इरादा हो, एक शोक पत्र की तरह है जो अंतिम संस्कार के बहुत बाद भेजा गया। कूटनीति के नाम पर, पेरिस राख के ऊपर एक झंडा उठाएगा।

विडंबना से भरा एक इशारा

फ्रांस का दावा है कि उसकी मान्यता का उद्देश्य दो-राज्य समाधान को पुनर्जनन देना है, जो शांति के लिए व्यापक प्रयास का हिस्सा है। मैक्रों ने सामान्य शर्तें रेखांकित की हैं: हमास को निरस्त्र करना, बंधकों को रिहा करना, पलस्तीनी प्राधिकरण में सुधार करना। कागज पर, यह उचित लगता है। व्यवहार में, यह व्यंग्य की तरह लगता है। गाजा पूर्ण धेराबंदी में है। वेस्ट बैंक को वास्तविक समय में हड्डप लिया जा रहा है। और फ्रांस पलस्तीनियों से - जिनमें से कई भूखे, विस्थापित या मृत हैं - अपनी राजनीति को व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है ताकि उन्हें एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जा सके।

यह हास्यास्पद होता, अगर यह इतने खून से सना न होता।

गाजा: कांटेदार तारों के पीछे भूख

आइए स्पष्ट हों: **गाजा एक जेल है, और इसके कैदी भूख से मर रहे हैं।** मार्च 2025 से, इज़राइल ने पूर्ण धेराबंदी लागू की है - जमीन, हवा और समुद्र से। सभी सीमा पारगमन इज़राइल के नियंत्रण में हैं। विदेशी पत्रकारों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सहायता काफिलों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। **नौसैनिक नाकाबंदी** पूरी तरह से लागू है। कुछ भी अंदर नहीं जाता। कोई बाहर नहीं निकलता।

यह मानवीय संकट नहीं है। यह एक मानव निर्मित अकाल है, जिसे नौकरशाही सटीकता के साथ बनाया गया है।

संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन दोनों ने पुष्टि की है कि गाजा अब **चरण 5 अकाल** में है - सामूहिक भुखमरी। 70% से अधिक कृषि भूमि नष्ट हो चुकी है। जल शोधन संयंत्रों को बमबारी या ईंधन से वंचित किया गया है। अधिकांश लोग नमकीन या दूषित पानी पीते हैं, अगर वे कुछ पीते हैं।

अविश्वसनीय रूप से, कुछ स्थानीय पत्रकार - जो AFP और अल जज़ीरा जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा अनुबंधित हैं - जमीन से रिपोर्टिंग जारी रखते हैं। वे अपनी समाज के पतन को कवर करके स्थिर आय अर्जित करते हैं। **कल्पना करें कि आपको डिस्पैच लिखने के लिए भुगतान किया जा रहा है जबकि आपके पड़ोसी घास खा रहे हैं और आपका शहर मलबे में बदल रहा है।** यह पत्रकारिता नहीं है; यह जीवित बचे लोगों का गवाही है।

इज़राइल: बिना सजा के कानून का उल्लंघन

इज़राइल, एक **कब्जा करने वाली शक्ति** के रूप में, **चौथे जेनेवा कन्वेंशन** के तहत बाध्य है कि वह नागरिक आबादी को भोजन, पानी और चिकित्सा देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करे। इसके बजाय, उसने जानबूझकर तीनों को नकार दिया है।

इसने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के दो अलग-अलग फैसलों को भी चुनौती दी है - जनवरी और मार्च 2024 में - जो गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति देने और नरसंहार के कृत्यों को रोकने के लिए सभी उपाय करने का आदेश देता है। इज़राइल ने दोनों को नजरअंदाज किया।

आइए स्पष्ट हों: यह केवल नैतिक विफलता नहीं है - यह एक स्पष्ट, निरंतर अपराध है। युद्ध की विधि के रूप में भुखमरी अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत निषिद्ध है। यह रोम संविधान के तहत भी युद्ध अपराध है। फिर भी, इज़राइल बिना किसी सार्थक परिणाम के फंदा कसता जा रहा है।

वेस्ट बैंक: विलय द्वारा विलोपन

जबकि गाजा भूख से मर रहा है, वेस्ट बैंक को एक शव की तरह काटा जा रहा है। इज़राइली संसद की गैर-बाध्यकारी वोट क्षेत्र को हड़पने के लिए - बस्तियों के निर्माण और सैन्य छापों में विस्फोट के साथ - ने एक व्यवहार्य पलस्तीनी राज्य की किसी भी उम्मीद को चकनाचूर कर दिया है। फ्रांस सितंबर में पलस्तीन को मान्यता दे सकता है, लेकिन तब तक, मान्यता देने के लिए कोई पलस्तीन नहीं बचेगा - केवल बिखरे हुए टुकड़े, धेरे हुए और दफन।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय: निष्क्रियता के लिए दोषी

फ्रांस की घोषणा एक और भी निंदनीय सत्य को उजागर करती है: **अंतरराष्ट्रीय समुदाय असफल नहीं हो रहा है - यह सह-अपराधी है।** नरसंहार कन्वेंशन के तहत, राज्यों का कर्तव्य है कि वे नरसंहार को रोकें, न कि केवल बाद में इसकी निंदा करें। **संरक्षण की जिम्मेदारी (R2P)** सिद्धांत के तहत, उन्हें तब कार्रवाई करनी चाहिए जब कोई आबादी सामूहिक अत्याचार अपराधों का सामना कर रही हो।

फिर भी, वैश्विक प्रतिक्रिया नाराजगी और आधे-अधूरे उपायों का मिश्रण रही है। सहायता का अवरोध बना हुआ है। इज़राइल को हथियारों की आपूर्ति जारी है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले अनदेखे किए जाते हैं। कोई प्रतिबंध नहीं, कोई नाकाबंदी नहीं, कोई सार्थक कार्रवाई नहीं।

इसे सुंदर न बनाएं: इज़राइल को भुखमरी को हथियार के रूप में उपयोग करने की अनुमति देकर, विश्व नरसंहार में भाग ले रहा है।

निष्कर्ष: कब्रों के ऊपर उठाया गया झंडा

पलस्तीन को मान्यता देने का फ्रांस का वादा अर्थहीन नहीं है - लेकिन यह घोर रूप से गलत समय पर है। मान्यता बचाव नहीं है। यह भूखों को भोजन नहीं देगी या विस्थापितों को आश्रय नहीं देगी। यह मृतकों को वापस नहीं लाएगी। बिना तत्काल कार्रवाई के घेराबंदी तोड़ने, गाजा को सहायता से भरने और अंतरराष्ट्रीय कानून लागू करने के लिए, फ्रांस की मान्यता न्याय का कार्य नहीं बनती - बल्कि एक शोक सभा बन जाती है।

जब मैक्रों सितंबर में पलस्तीनी झंडा उठाएंगे, तो दुनिया को पूछना चाहिए: क्या वह एक संप्रभु राष्ट्र को सलाम कर रहे हैं - या उन पीड़ितों को सम्मान दे रहे हैं जिन्हें हम सभी ने छोड़ दिया?

यदि उत्तर बाद वाला है, तो यह कूटनीति नहीं है। यह सह-अपराध है।